भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3470
दिनांक 16 मार्च, 2018 को उत्तर के लिए

महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेच

3470. श्री अश्विनी कुमारः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या दिल्ली में अपने कार्यस्थल या इसके नजदीक महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए क्रेच उपलब्ध हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली में वर्तमान में कार्यरत ऐसे क्रेचों की स्थान-वार संख्या कितनी है; और
(ग) क्या सरकार की योजना दिल्ली में ऐसे और अधिक क्रेचों के निर्माण करने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और स्थान क्या हैं?

उत्तर

डॉ. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(क) : गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके), कार्मिक एवम् प्रशिक्षण विभाग के तत्वाधान में काम करने वाली एक पंजीकृत सोसायटी है । यह सोसायटी सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए दिल्ली/एनसीआर में विभिन्न स्थानों पर अपने समाज सदनों तथा सरकारी क्वार्टरों में स्थित क्रेच केन्द्रों का प्रबन्ध देख रही है। इसके अतिरिक्त, गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके) ने आयकर विभाग, ओआईडीबी तथा लोक सभा सचिवालय को अपने कार्यालय परिसर में खोले गए क्रेच केन्द्रों के लिए स्टाफ अर्थात क्रेच अध्यापक तथा परिचर भी उपलब्ध कराए हैं ।

(ख) : गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके) द्वारा दिल्ली/एनसीआर में चलाए जा रहे 11 क्रेच केन्द्रों का विवरण इस प्रकार है :
(i) लोधी कालोनी (ii) प्रगति विहार हॉस्टल (iii) एंड्रयूज गंज (iv) पेशवा रोड़ (v) आर.के.पुरम सेक्टर-1 (vi) आर.के.पुरम सेक्टर-3 (vii) आर.के.पुरम सेक्टर-5 (viii) आर.के.पुरम सेक्टर-9 (ix) तिमार पुर (x) शास्त्री भवन तथा (xi) फरीदाबाद

(ग) : गृह कल्याण केन्द्र (जीकेके) द्वारा नए क्रेच केन्द्र खोलने के बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि दिल्ली सचिवालय के स्टाफ के अनुरोध पर विभाग दिल्ली सचिवालय में एक आंगनवाड़ी केन्द्र एवं क्रेच खोलने से संबंधित कार्रवाई कर रहा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्य पूरा कर दिए जाने के पश्चात उसे खोला जा सकता है ।

*****